44- मुख्तारनामा आम

मैं कि ..... पुत्र श्री ..... निवासी.....का हूँ जो कि मेरी भूमि .... में स्थित है जो मुझे उक्त भूमि बतौर विरासतन/क्रय किये जाने से प्राप्त हुई है। चूँकि मैं अपने दीगर कार्यों में व्यस्त रहने एवं अक्सर बाहर रहने के कारण अपनी उपरोक्त भूमि का हर किस्म जुमला इन्तजाम करने में असमर्थ हूँ। इस वास्ते अपनी उक्त भूमि/मकान वाके..... के प्लाट नं0/खसरा सं0/मकान नं0 के लिए श्री ..... निवासी ग्राम..... को अपना मुख्तारेआम नियुक्त करता हूँ तथा अधिकार देता हूँ कि मुख्तारे मौसूफ मेरी जानिब से उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र तहसील, जंगलात, नगरपालिका, परगना कार्यालय, जिला कार्यालय व सम्बन्धित विभागों में प्रस्तुत करें। भूमि के सम्बन्ध में किसी तरह का विवाद होने पर मुख्तारे मौसूफ किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दावा तहरीर व तसदीक कर न्यायालय में पेश करें। हलफनामा पेश करें। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करें। किसी हुक्म अदालत की नाराजगी पर अपील तथा रिवीजन करें। दरखास्त रिव्यू प्रस्तुत करें। नकल इत्यादि हासिल करें। किसी वकील अथवा एडवोकेट को नियुक्त करें। राजीनामा या पंचायत करें। हाईकोर्ट में रिट करें और यदि भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विचाराधीन हो तो उसमें मुनासिब हाजरी व पैरवी करने का अधिकार भी मुख्तारे मौसूफ को होगा। मुख्तारे मौसूफ को यह अधिकार भी होगा कि वह मेरी जानिब से उपरोक्त भूमि में निर्माण करावे, भूमि का इकरारनामा करे, जरे समन वसूल कर रसीद देवें एवं उपरोक्त भूमि को विक्रय कर उसका रजिस्ट्री बैनामा एक मुश्त या अलग–अलग भागों में मेरे स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर सम्बन्धित उप–निबन्धक कार्यालय में अपने हस्ताक्षरों से करावें। गरज यह है कि मुख्तारे मौसूफ उपरोक्त वर्णित भूमि के बावत जो भी कार्यवाही अमल में लायेगा वह मुझे कबूल व मन्जूर होगी तथा मेरे ही द्वारा की गयी मानी जायेगी। इस मुख्तारनामें को मेरे द्वारा कभी भी खारिज किया जा सकेगा।

लिहाजा यह दस्तावेज मुख्तारनामा आम तहरीर व तकमील कर रजिस्ट्री करा दिया कि सनद हो, वक्त जरूरत पर काम आवे। फक्त दिनांक .....।